

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पशुधन अनुभाग-।

लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2015

विषय: प्रदेश के जनपदों में सोसायटी फार प्रिवेन्शन आफ क्रूएल्टी दू एनीमल्स (एस०पी०सी०ए०) को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पशुधन विभाग के विजसि/अधिसूचना संख्या-3584/37-1-2010-11(29)/2001, दिनांक 28-7-2010 द्वारा जनपदों में आपकी अध्यक्षता में एस०पी०सी०ए० का गठन किया गया है तथा शासनादेश संख्या-4542/37-1-2012, दिनांक 15-1-2013 एवं शासनादेश संख्या-534/37-1-2013, दिनांक 4-6-2013 द्वारा एस०पी०सी०ए० में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया जा चुका है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित शासनादेश संख्या-3330/37-1-2013-05(129)/2010, दिनांक 24-9-2013 एवं आदेश संख्या-3630/37-1-2013-05(129)/2010, दिनांक 10-10-13 द्वारा माह में कम से कम एक बार एस०पी०सी०ए० की बैठक आहूत कर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से यह परिलक्षित हो रहा है कि जनपदों में एस०पी०सी०ए० की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही हैं, जिसके कारण ये समितियाँ निष्क्रिय हो गयी हैं।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया अपने जनपद में एस०पी०सी०ए० को सक्रिय करते हुये प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्यमेव बैठक आहूत कर कृत कार्यवाही से निर्देशक, पशुपालन के माध्यम से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(रजनीश गुप्ता)

प्रमुख सचिव

संख्या-16/2015/3164 (1)/37-1-2015, तददिनांक ।

प्रतिलिपि:-

- निर्देशक पशुपालन विभाग उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे मासिक समीक्षा बैठक का अंग बनाये ।
- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता येव साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।